न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः– 12/81/2025 रजू दिनांकः 30.06.2025 रजि0 न0 2025/178

अपीलार्थीः–

श्री हरद्वारी लाल, निवासी ई–30, भूतल प्रीत विहार दिल्ली–110092

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 30.06.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 12.05.2025 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.06.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी द्वारा पत्र क्रमांक यूआईटी/आर.टी.आई/2025/2678 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा पत्र दिनांक 12.05.2025 के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आठ बिन्दुओं के संबंध में सूचना चाही गई है। अपीलार्थी को पत्र कमांक 1860–61 दिनांक 26.05.2025 को संबंधित शाखा द्वारा कार्यालय में सात दिवस में उपस्थित होकर रिकॉर्ड दस्तावेजों का चिन्हिकरण कर अवगत कराने हेतु सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब मय संलग्नक के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के द्वारा अन्तर्गत सूचना का अधिकार के अधिनियम 2005, वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित करते हुए विनिश्चय कर सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 30.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)